

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :-

283/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2025/363

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

रामलाल पुत्र भागूराम जाति जाट
निवासी भाटो का वास 12 वीं रोड़
जोधपुर जिला जोधपुर

1. मोड़ाराम पुत्र मंगलाराम
जाति राईका निवासी मेडिवासन
2. पोकरराम पुत्र शिवाराम
जाति राईका निवासी मेडिवासन
3. ईकबाल पुत्र मोहमदबक्स
जाति मुसलमान निवासी पाटोदी
4. जसराज पुत्र सीताराम
जाति आचार्य निवासी पाटोदी
5. फूली पत्नी मोहमदबक्स
जाति मुसलमान निवासी पाटोदी
6. हमीराराम पुत्र मंगलाराम
जाति राईका निवासी मेडिवासन
7. देवाराम पुत्र मंगलाराम
जाति राईका निवासी मेडिवासन
8. बिंजाराम पुत्र सुरताराम
जाति राईका निवासी मेडिवासन
9. अमरी पत्नी रहीम खां जाति मुसलमान
10. आदमखां पुत्र मिरखां जाति मुसलमान
11. आसीनखां पुत्र मीरखां, जाति मुसलमान
12. उकी पुत्री रतनाराम जाति भील
13. खेताराम पुत्र रतनाराम जाति भील
14. जमना पुत्री रतनाराम जाति भील
15. तीजो पुत्री रतनाराम जाति भील
16. भादू पुत्री रतनाराम जाति भील
17. राणाराम पुत्र रतनाराम जाति भील
18. रिमजानखां पुत्र मिरखां
जाति मुसलमान
19. मिसराराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल
20. मोतीराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

- 21.ओमप्रकाश पुत्र केशाराम जाति गुरड़ा
- 22.कालीया पुत्र बीजा जाति गुरड़ा
- 23.चुतराम पुत्र बीजा जाति गुरडा
- 24.तुलसी पत्नी मंगलाराम जाति गुरड़ा
- 25.धनाराम पुत्र मंगला जाति गुरडा
- 26.प्रेमाराम पुत्र मंगला जाति गुरडा
- 27.बाबुलाल पुत्र केशाराम जाति गुरडा
- 28.भंवरलाल पुत्र केशाराम जाति गुरडा
- 29.मोवनीदेवी पत्नी गोबरराम जाति गुरडा
- 30.मोहनलाल पुत्र मंगलाराम जाति गुरडा
- 31.विक्रम पुत्र गोबरराम जाति गुरडा
- 32.विशनाराम पुत्र केशाराम जाति गुरड़ा
- 33.हंजादेवी पत्नी केशाराम जाति गुरडा
- 34.हरजीराम पुत्र केशाराम जाति गुरड़ा
- 35.मेहरदीन पुत्र उस्मानखां
- 36.रहीमखां पुत्र उसमानखां
- 37.रिमजान खां पुत्र उसमान खां
जाति मुसलमान निवासी रीछोली,
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
- 38.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी

जिला बालोतरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 16/12/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस दैनिक नवज्योति अखबार मे छायाकन करवाए गए। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ोसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित शीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.6.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेडीवासन तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 135/2 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है।



(अशोक कुमार) 16/11/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 16/11/2025
बालोतरा